

25.02.2022

4

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उममपहल उप-1  
 अपीलान्तर्गत अधिवक्ता ने पत्रावली पर  
 बहस सुनी गई। अपीलान्तर्गत के अधिवक्ता  
 ने पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन  
 किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा  
 अपीलान्तर्गत आदेश अपीलान्तर्गत की  
 अनुपस्थिति में पारित किया गया पत्रावली  
 कोर्ट में सुनवाई नोकर रखी गई  
 जिसकी सूचना अपीलान्तर्गत को नहीं दी  
 गई। रास्ता अपीलान्तर्गत की मुलभूत  
 आवश्यकता है। अपीलान्तर्गत की आदालती  
 पर माने जाने के लिए कोर्ट कारण  
 मार्ग उपलब्ध नहीं हो मत अपील स्वीकार  
 फटकारा जावे।

*(Handwritten signature)*  
 अधिवक्ता  
 (क. अपीलान्तर्गत)


रेखा. अधिवक्ता ने पत्रावली पर बहस करते  
 हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी  
 पाइमेर

दाया मपीलोटगण को मुनवाडी का  
समुचित मवसत दिया गया। मधीनस्व  
नामालम दाया मपीलाधीन मोदेश  
बिधि दाया समुचित प्रक्रिया का पालन  
करते हुए हुए पारित किया गया।  
मपीलोटगण की मांगी तक पहुँचने के  
लिए सैके पर जेबल सड़क उपलब्ध  
है। मपीलोटगण को उनकी सुविधा के  
लिए जेबल रास्ता दिया जाना बिधि  
सम्मत नहीं है। अतः मपील खाती  
करवाई जावे।

मधिवक्ता उममपट्ट की पत्रावली पर  
बहस सुनी गई। मधीनस्व नामालम  
दाया हस्तगत प्रकटा को जे म कोर्ट  
में मुनवाडी हेतु रखने बाबत मपीलोटगण  
को कोई सूचना / नोटिस नहीं दिया  
गया। मधीनस्व नामालम दाया मपीलाधीन  
मोदेश मपीलोटगण की समुचित प्रति में  
पारित किया गया। मधीनस्व नामालम दाया  
मपीलोटगण को मुनवाडी का समुचित  
मवसत नहीं दिया गया। मधीनस्व  
नामालम दाया मपीलोटगण का साबेदग  
खातीज करते हुए मोदेश पारित किया  
गया। उसमें जेबल सड़क का संकेत  
बनाया लेकिन यजल टिबॉर्ड में दर्ज  
रास्ते का उल्लेख नहीं किया गया।  
उपरोक्त बिबेनग एवं तर्कों के  
मालोके में मपीलोटगण की मपील

मांगित स्वीकार कर प्रकल्प रिमाण्ड करते मोमन बहल्ला हे  
लिहाजा मधील कोटि स्वीकार जी जारी हो  
त्या मधील स्व न्यायालय उपक्रम कोटि मधील  
रामसर दाय राजस कावेदन सेव्या 76/2012  
मनवान विरुद्ध को. न्याय न्यायालय को. में पाठि  
मादेशा दिनांक 22.07.2015 (22 जुलै 2015) को  
मपास किमा जाकर प्रकल्प मधील स्व  
न्यायालय को हल निर्देश के साथ  
अतिउचित जी जारी हो कि मधील मंगल  
को मुतबई वा मंगल मंगल देते हु  
धाप 251.5 टा.का. मधि. जी मंगल  
प्रक्रियागत कामवाही को पूर्ण करते हु  
मुताबत पर मादेशा पाठि करे।  
उभयपक्ष मधील स्व न्यायालय के माहा  
दिनांक 11.04.2022 को उपस्थित रहे।  
मधील स्व न्यायालय को मंगल मंगल  
निर्णय को जे लोटाया जावे। मंगल  
कैशान मुताबत नंतर को कर होकर  
बाद मधील दाय कर हो  
मादेशा करे इजलास मुताबत मंगल

  
राजस अपील अधिकारी  
बाधमेर